लेखा·योग

११९· २००२-०३ में विअविअ धन का अन्तः प्रवाह
नवम्बर-०५/ रा· कार्तिक १९२७; प्रकाशित - फरवरी ०७

इस अङ्क में

कुल प्राप्तियाँ	१	शीर्ष २५ जनपद (डिस्ट्रिक्ट्स्)	२
अभिदाय के स्रोत	१	शीर्ष २५ दान ग्रहीता संस्थाएँ	३
शीर्ष दातव्य संस्थाएँ	१	राज्यवार प्राप्तियाँ	३
प्राप्ति के उद्देश्य	२	१ करोड़ से अधिक	४

लेखा·योग ९५ में, वर्ष २००१-२००२ में प्राप्त विदेशी अभिदाय का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया था। अब हम उसी तरह का विश्लेषण वर्ष २००२-०३ के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।

कुल प्राप्तियाँ

मार्च २००३ तक कुल २६,४०४ संस्थाएँ विअविअ के अन्तर्गत पञ्जीकृत थी। इसके अतिरिक्त सैकड़ों संस्थाओं को पूर्वानुमति प्राप्त थी। तथापि वर्ष २००२-०३ में केवल १६,५९० संस्थाओं ने विअ-३ विवरण प्रेषित किया। इन संस्थाओं ने कुल ५०·४७ अरब[1] रुपयों की प्राप्ति का विवरण दिया। वर्ष २००१-०२ में यह आँकड़ा ४८·७२ अरब रुपये था।

पिछले ग्यारह वर्षों (१९९२-९३ से २००२-०३ तक) में विदेशी अभिदाय की वार्षिक बढ़ोतरी १२·३ प्रतिशत की दर से हुई। इन वर्षों में प्रति संस्था औसत अभिदाय की प्राप्ति लगभग दुगनी (९२-९३ में १५·५३ लाख से बढ़ कर २००२-०३ मे ३०·४२ लाख) हो गई है। हालाँकि वर्ष २००१-०२ की तुलना में अभिदाय की विकास दर के साथ ही साथ औसत अभिदाय में भी कमी आई है।

अभिदाय के स्रोत

यह अभिदाय कहाँ से आता है? संक्षिप्त प्रतिवेदन में केवल तीन शीर्ष देशों के नाम सूचीबद्ध हैं। इन देशों के नाम तथा अभिदाय की राशि इस प्रकार हैः संयुक्त राज्य अमेरिका (१६·८० अरब रुपये), जर्मनी (७·१५ अरब रुपये), तथा संयुक्तराज्य / बर्तानिया (६·८५ अरब रुपये)। इन तीनों देशों द्वारा कुल विदेशी अभिदाय का ६१ प्रतिशत अन्तःप्रवाह हो रहा है।

स्रोत राष्ट्रः २००२-०३

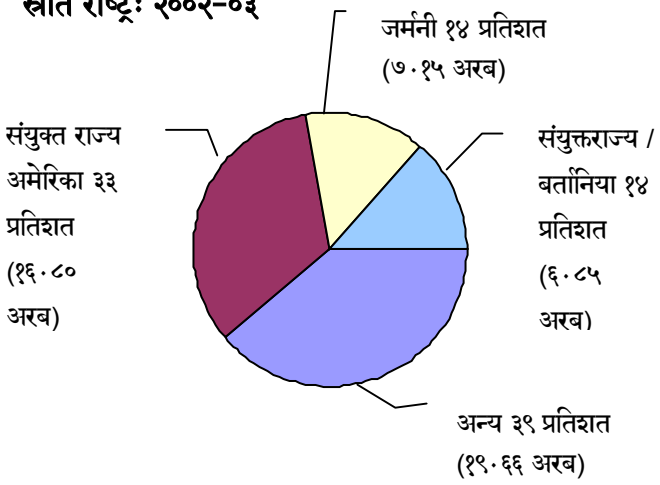

शीर्ष दातव्य संस्थाएँ

इस प्रतिवेदन में तीन मुख्य दातव्य-संस्थाओं एवं उनके अभिदाय को भी सूचीबद्ध किया गया है। जैसे- फोर्ड फाउण्डेशन (संयुक्त राज्य अमेरिका) १·२२ अरब, वर्ल्ड विज़न इण्टरनेशनल (संयुक्त राज्य अमेरिका) ९०·२४ करोड़ रुपये, एवं फाउण्डेशन विन्सेण्ट फैरर (स्पेन) ७९·१६ करोड़ रुपये। इन तीनों दातव्य-संस्थाओं का संयुक्त अभिदाय २·९१ अरब रुपये है जो कुल प्राप्ति का ६ प्रतिशत है।

[1] १ अरब = १०० करोड = १,००,००,००,०००

प्राप्ति के उद्देश्य

इस प्रतिवेदन में उन तीन मुख्य उद्देश्यों को भी सूचीबद्ध किया गया है जिसके लिए अधिकतम धनराशि प्राप्त हुई है: संस्थागत व्यय ६.७४ अरब रुपये, ग्रामीण विकास ४.८७ अरब रुपये तथा स्कूल एवं कॉलेजों का निर्माण एवं रख-रखाव २.७६ अरब रुपये। ३६.११ अरब रुपये अन्य उद्देश्यों के लिए प्राप्त हुए हैं। इसका विवरण सरकार के पास उपलब्ध है - परन्तु, इसे संक्षिप्त प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं किया गया है।

संस्थागत व्यय में क्या - क्या सम्मिलित है? मुख्यत: प्रशासनिक वेतन, कुछ उपरिव्यय, काय-अभिदाय, कार्यालय-भवन का निर्माण आदि। कार्यक्रम से सम्बन्धित वेतन को साधरणतः उसी कार्यक्रम के सम्बन्धित-शीर्षक के साथ सम्मिलित किया जाता है। दूसरा भ्रामक शीर्षक है ग्रामीण विकास का। कई जन-सेवी संस्थाएँ अपने सभी कार्यक्रमों को ग्रामीण विकास के साथ जोड़ना अधिक पसंद करती हैं, क्योंकि यह एक ऐसा शब्द है जो कि लगभग प्रत्येक क्रियाकलाप को सम्मिलित करती है चाहे बच्चों से सम्बन्धित हो, या औरतों या आदिवासियों, इत्यादि से।

शीर्ष २५ जनपद (डिस्ट्रिक्ट्स्)

इस प्रतिवेदन में २५ बड़े प्राप्तकर्त्ता जनपदों की सूची भी उपलब्ध कराई गई है।

कुल मिलाकर इन २५ जनपदों ने २६.५६ अरब रुपये या कुल अन्तःप्रवाह का लगभग ५३ प्रतिशत प्राप्त किया है।

उपरोक्त आँकडों में द्विपक्षी निधि (विदेशी सरकारों द्वारा भारत सरकार को) और संयुक्त-राष्ट्र-संघ की निधि सम्मिलित नहीं है। अधिकान्श शीर्ष-प्राप्तकर्ता-जनपद दक्षिण के राज्यों, जैसे कि आन्ध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु, में स्थित हैं।

२००२-०३ में उद्देश्यों के अनुसार प्राप्ति

५०.४७ अरब रुपये

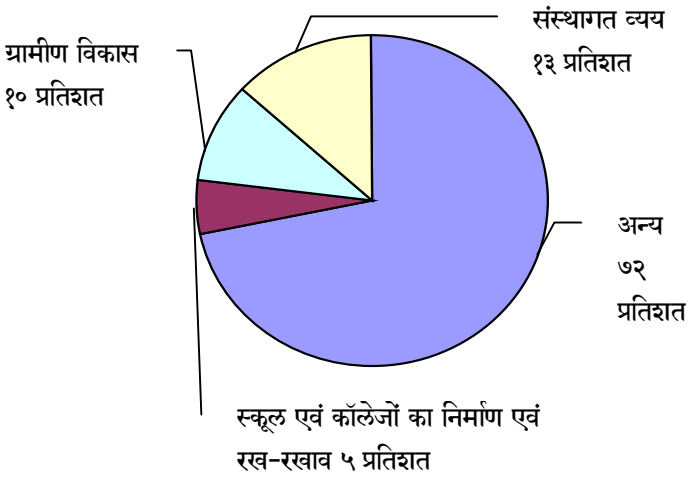

क्रम सं.	जनपद	राज्य	संस्थाओं की संख्या	राशि (करोड़ में)
१	चेन्नै	तमिलनाडु	५८८	३६३.४५
२	बैंगलोर	कर्नाटक	६९०	३५७.६७
३	मुम्बई	महाराष्ट्र	६२४	२८३.५९
४	कोलकाता	पश्चिम बङ्गाल	४११	१८१.४४
५	अनन्तापुर	आन्ध्र प्रदेश	११०	१६८.९५
६	अहमदाबाद	गुजरात	२०१	१६८.१२
७	हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश	३१७	१३५.४९
८	पत्तनतिट्टा	केरल	१३४	१२२.०८
९	पुणे	महाराष्ट्र	२३४	१०४.७७
१०	एरणाकुलम	केरल	३०१	८९.९५
११	मदुरई	तमिलनाडु	३१७	६९.४६
१२	कृष्णा	आन्ध्र प्रदेश	१४०	६५.५४
१३	वेल्लूर	तमिलनाडु	१३८	५६.१९
१४	धर्मशाला	हिमाचल प्रदेश	३६	४५.९२
१५	देहरादून	उत्तराखण्ड	७३	४५.१०
१६	तिरूच्चिराप्पल्लि	तमिलनाडु	२२८	४४.३५
१७	काञ्चीपुरम	तमिलनाडु	१८१	४३.३६
१८	मैसूर	कर्नाटक	११४	४३.१३
१९	कोट्टयम	केरल	२०२	४३.०७
२०	गुन्टूरु	आन्ध्र प्रदेश	१८४	४१.४०
२१	तिरूवनन्तपुरम	केरल	१५९	४१.३४
२२	तिरूनेल्वेलि	तमिलनाडु	१८५	३९.२९
२३	विशाखापत्तनम	आन्ध्र प्रदेश	९६	३७.५५
२४	२४ परगना (उ० व द०)	पश्चिम बङ्गाल	३७०	३४.४६
२५	कलिकट	केरल	११४	३०.४०
		योग	**६,१४७**	**२,६५६.०७**

शीर्ष २५ दान ग्रहीता संस्थाएँ

इस धन को कौन प्राप्त करता है? इस प्रतिवेदन में १६,५९० संस्थाओं की एक लम्बी सूची है जिन्होंने इस अभिदाय को प्राप्त किया है। परन्तु यहाँ केवल २५ शीर्ष दान ग्रहिताओं की सूची दी जा रही है।

इस सूची में जन-सेवी-संस्थाएँ तथा दातव्य-संस्थाएँ दोनों हैं। संयुक्त रूप से इन २५ संस्थाओं ने वर्ष २००२-०३ में ९·९२ अरब रुपये प्राप्त किये जो कि कुल अन्तःप्रवाह (५०·४७ अरब) का २० प्रतिशत है। इसमें से २५ प्रतिशत (लगभग २·४५ अरब रुपये) दातव्य-संस्थाओं ने प्राप्त किये हैं। इन्हें सारणी में अलग से नीचे दिखाया गया है।

इस वर्ष निम्नलिखित चार नई संस्थाओं ने इस सूची में प्रवेश किया है:

१. बिलिवर्स चर्च इण्या, पत्तनतिट्टा, केरल। यह संस्था 'गॉस्पेल फॉर एशिया' से सम्बन्धित है।

२. करुणा बाल विकास, चेन्नै, तमिलनाडु जो कि जोखिम से घिरे बच्चों के लिए कार्य करती है।

३. सैफी हॉस्पिटल ट्रस्ट, जो मुम्बई में एक अस्पताल का संचालन करती है।

४. दावत-ए-हदियाह, बोहरा समुदाय द्वारा मुम्बई में चलाया जा रहा एक न्यास है।

संस्थाएँ		राज्य	रुपये (करोड़ में)
१.	वर्ल्ड विज़न	तमिलनाडू	९८
२.	रूरल डैवलप्मेण्ट ट्रस्ट	आन्ध्र प्रदेश	८५
३.	श्री सत्य साँई सेण्ट्रल ट्रस्ट	आन्ध्र प्रदेश	६०
४.	माता अमृतानन्दमयी मिशन	केरल	५५
५.	बोचासनवासी अक्षरधाम पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था	गुजरात	५४
६.	सेवन्थ डे एडवेण्टिस्ट	तमिलनाडू	४७
७.	बिलीवर्स चर्च इण्डिया	केरल	३५
८.	सैफी हॉस्पिटल ट्रस्ट	म्हाराष्ट्र	३५
९.	लेप्रसी मिशन ट्रस्ट	दिल्ली	३३
१०.	मिशनरीज़ ऑफ चैरिटी	पश्चिम बङ्गाल	३३
११.	द चर्च कॉउन्सिल फॉर चाइल्ड एण्ड यूथ केअर	कर्नाटक	३२
१२.	एस ओ एस चिल्ड्रन्स् विलेज	दिल्ली	३०
१३.	महर्षि वेद विज्ञान विश्व विद्या पीठं	आन्ध्र प्रदेश	२८
१४.	तिब्बतन चिल्ड्रन्स् विलेज	हिमाचल प्रदेश	२८
१५.	करुणा बाल विकास	तमिलनाडू	२८
१६.	ॐ शक्ति नारायणी सिद्धः पीठं चेरिटेबल ट्रस्ट	तमिलनाडू	२३
१७.	ए एम जी इण्डिया इण्टरनेशनल	आन्ध्र प्रदेश	२३
१८.	दावत-ए-हदियाह	महाराष्ट्र	२२
दातव्य-संस्थाएँ			
१९.	फॉस्टर पेरेण्टस् प्लान इण्टरनेशनल	दिल्ली	५४
२०.	कैरिटास इण्डिया	दिल्ली	५०
२१.	चर्च आक्सिलियरी फॉर सोशल एक्शन (कासा)	दिल्ली	३८
२२.	क्रिश्चियन चिल्ड्रन फण्ड	कर्नाटक	३२
२३.	औक्सफैम (इण्डिया) ट्रस्ट	दिल्ली	२७
२४.	सेव द चिल्ड्रन फण्ड	दिल्ली	२२
२५.	आगा खान फाउण्डेशन	दिल्ली	२२

राज्यवार प्राप्तियाँ

वर्ष २००२-०३ में बीस राज्यों ने ४९·४४ अरब रुपये या कुल विदेशी अन्तःप्रवाह का ९८ प्रतिशत प्राप्त किया। शेष २ प्रतिशत बाकी के ९ राज्यों तथा ५ केन्द्र-शासित-प्रदेशों की ६५१ संस्थाओं को प्राप्त हुआ।

राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश	अरब रु.	प्रतिशत
१. दिल्ली	८·८१	१७·४५
२. तमिलनाडु	७·७५	१५·३६
३. आन्ध्र प्रदेश	६·३०	१२·४८
४. महाराष्ट्र	५·०५	१०·०१

राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश	अरब रु.	प्रतिशत
५. कर्नाटक	४·८९	९·६९
६. केरल	४·०९	८·११
७. पश्चिम बङ्गाल	२·७२	५·४०
८. गुजरात	२·७२	५·३९
९. उत्तर प्रदेश	१·०३	२·०३
१०. उड़ीसा	०·८८	१·७४
११. मध्य प्रदेश	०·७४	१·४७
१२. राजस्थान	०·६८	१·३४
१३. उत्तराखण्ड	०·५९	१·१८
१४. बिहार	०·५९	१·१७
१५. झारखण्ड	०·५८	१·१४
१६. हिमाचल प्रदेश	०·५३	१·०४
१७. पञ्जाब	०·४८	०·९५
१८. असम	०·३८	०·७५
१९. छत्तीसगढ़	०·३१	०·६२
२०. मेघालय	०·३१	०·६२
२१. शेष राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश	१·०४	२·०६
योग	**५०·४७**	**१००·००**

१ करोड़ से अधिक

लगभग ९४० (५·७ प्रतिशत) संस्थाओं ने वर्ष २००२-०३ में प्रति संस्था १ करोड़ रुपये से अधिक का अभिदाय प्राप्त किया है। अन्य १५,६५० (९४·३ प्रतिशत) संस्थाओं ने प्रति संस्था १ करोड़ रुपये से कम का अभिदाय प्राप्त किया है।

१ करोड़ रु० से अधिक प्राप्त करने वाली संस्थाएँ

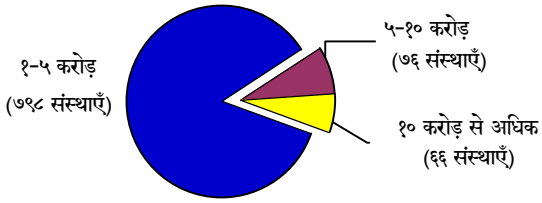

इस अङ्क में दिया गया विश्लेषण, गृह मन्त्रालय द्वारा बनाए किये गये "संक्षिप्त विदेशी प्राप्ति प्रतिवेदन २००२-०३" के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। इस प्रतिवेदन में विदेशी अभिदाय के बहुत से मूल्यवान आँकड़े जुटाए गए हैं। इस जानकारी को सीमित संसाधनों द्वारा कठिन परिश्रम करके संग्रहीत करने के लिए, हम विअविअ विभाग का साधुवाद करते हैं।

प्रस्तुत विश्लेषण की कुछ सीमाएँ हैं। यदि इसे सावधानी से न पढ़ा जाए, तो दोषपूर्ण निर्वचन हो सकता है। अतः आप से निवेदन है कि प्रत्येक सारणी के साथ दी गई टिप्पणी को अवश्य पढ़ें।

- माल (वस्तु) के रूप में प्राप्त विदेशी अभिदाय का कभी-कभी मूल्याङ्कन नहीं होता या उनकी सूचना सम्बधित जनसेवी संस्था द्वारा नहीं दी जाती। फलतः आँकड़ें तथा विश्लेषण उसी के अनुसार बिगड़ेंगे।
- इस आँकड़े में शैक्षिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या आर्थिक कार्यक्रमों के लिए प्राप्त धन सम्मिलित है। यह धन किसी 'समाज-परिवर्तन संस्था' विकास संस्था, धार्मिक निकाय, विश्वविद्यालय, चिकित्सालय तथा सरकार द्वारा स्थापित जनसेवी सस्था द्वारा प्राप्त किया गया हो सकता है। किसी विशेष वर्गीकरण के अभाव में तथा पढ़ने की सुविधा के लिए हमने सबके लिए जनसेवी संस्था शब्द का प्रयोग किया है।
- विअविअ विभाग ने जनसेवी संस्थाओं तथा अभिदाय देने वाली दातव्य संस्थाओं के बीच कोई भेद नहीं किया है। हमने उन संस्थाओं के लिए, जो मुख्यतः अन्य संस्थाओं को दान देती है "दातव्य संस्था" नामक शब्द का प्रयोग किया है।
- एक अरब एक-सौ करोड़ या एक मिलियन के बराबर होता है। एक करोड़ = १,००,००,०००। वर्तमान में भारतीय एक करोड़ रुपये २२३,००० अमेरिकी डालर के बराबर हैं। एक लाख = १००,०००।

लेखा·योग हर माह प्रकाशित होता है। इसमें जन-सेवी संस्थाओं के नियमन व लेखा प्रणाली से सम्बन्धित विषयों पर चर्चा की जाती है। यह विभिन्न जन-सेवी संस्थाओं, दातव्य संस्थाओं, व अङ्केक्षण प्रतिष्ठानों (ऑडिट फर्म) में लगभग २७०० व्यक्तियों को वितरित किया जाता है। लेखा·योग के प्रत्युत्पादन या पुनर्वितरण को अकाउण्टएड इण्डिया प्रोत्साहित करता है यदि ऐसा अव्यवसायिक उद्देश्य से किया जाए एवं इनके स्रोत को अभिस्वीकार किया जाए।

आँग्ल भाषा में लेखा·योग – This issue of Lekha·Yog is available in English as AccountAble.

लेखा·योग का वाभ-स्वरूप – लेखा·योग के सभी पुराने अङ्कों के आँग्ल संस्करण (AccountAble) हमारे वाभ-स्थल www.AccountAid.net पर उपलब्ध है। चयनित लेखा·योग अङ्कों का वाभस्वरूप भी वहीं उपलब्ध है।

अकाउण्टएड सम्पुटिका – जनसेवी संस्थाओं के लेखाङ्कन एवं इससे सम्बन्धित विषयों पर लघु जानकारी अकाउण्टएड सम्पुटिका में दी जाती है। इसे प्राप्त करने के लिए accountaid-subscribe@topica.com पर ई-प्रेष करें।

पत्राचार – आपके प्रश्नों और सुझावों का स्वागत है। हमारा पता है – अकाउण्टएड इण्डिया, ५५-बी, खण्ड सी, सिद्धार्थ विस्तार, नई दिल्ली – ११० ०१४; दूरभाष – ०११-२६३४ ३१२८; दूरभाष/प्रतिरूप प्रेषिका – २६३४ ६०४१; ई-प्रेष – accountaid@vsnl.com; accountaid@gmail.com

© AccountAid™ India विक्रम संवत् पौष २०६३; फरवरी २००७ ईस्वी।

अकाउण्टएड इण्डिया, नई दिल्ली के लिए श्रीमती रेणू अग्रवाल द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित; दूरभाष – ०११-२६३४ ३१२८।

tAB/rRS,SA,VS/sAB,RS/fAB/cpSA